

झारखण्ड सरकार

(उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)

प्राचार्य का कार्यालय राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर (गम्हरिया थाना मोड़) अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यानुमति निर्गत करने हेतु साक्षात्कार की सूचना

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांक 2890 दिनांक 11.12.2015 के आलोक में, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर में अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्यानुमति प्रदान करने हेतु दिनांक 17.09.2020 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत सूचना तथा विहित प्रपत्र संस्थान के वेब साईट www.gwpjamsshedpur.com पर उपलब्ध है। अंशकालीन व्याख्याताओं को निर्गत किए जाने वाले कार्यादेश पूर्णरूपेण अस्थायी हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। निर्गत कार्यादेश नियमित नियुक्ति का आधार नहीं माना जायेगा। अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्यादेश झारखण्ड सरकार द्वारा निधारित आरक्षण नीति के तहत होगी। सभी उम्मीदवार को अपने आवेदन में आरक्षण कोटि यथा अनु० जाति / अनु० जन० जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग आदि का उल्लेख करना होगा एवं इससे संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। कार्यादेश प्राप्त अंशकालीन व्याख्याताओं को ₹० 400/- (चार सौ रुपये) प्रति व्याख्यान अधिकतम ₹० 24000/- (चौबीस हजार रुपये) प्रति माह की दर से पारिश्रमिक देय होगा। पूर्व में कार्यरत अंशकालीन व्याख्याताओं को भी पुनः कार्यानुमति हेतु ऑनलाईन अपना आवेदन भरना होगा। जिन विशयों में अंशकालीन व्याख्याताओं की आवश्यकता है, उसका विशय / शाखा, योग्यता निम्नलिखित है-

| क्र०सं० | विषय / शाखा का नाम | अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता |
|---------|-----------------------------------|---|
| 1. | यांत्रिक अभियंत्रण | यांत्रिक अभियंत्रण में प्रथम श्रेणी स्नातक |
| 2. | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजि० | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजि० में प्रथम श्रेणी स्नातक |
| 3. | असैनिक अभियंत्रण | असैनिक अभियंत्रण में प्रथम श्रेणी में स्नातक |
| 4. | आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप | आर्किटेक्चरल में प्रथम श्रेणी में स्नातक |
| 5. | कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजिनियरिंग | कम्प्यूटर साईंस इंजिनियरिंग में प्रथम श्रेणी स्नातक |
| 6. | गणित | गणित विषय में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री |
| 7. | भौतिक विज्ञान | भौतिक विज्ञान में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री |
| 8. | रसायन विज्ञान | रसायन विज्ञान में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री |
| 9. | अंग्रेजी | अंग्रेजी (Communication Skill) विषय में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री |
| 10. | विद्युत अभियंत्रण | विद्युत अभियंत्रण में प्रथम श्रेणी में स्नातक |

कार्य: सैद्धान्तिक / प्रायोगिक / सांख्यिक / कार्यों से संबंधित अध्यापन प्रश्न पत्रों का चयन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सहित अन्य शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन तथा संस्थान प्रधान / विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपे गये अन्यान्य कार्य।

शर्तें:

- पूर्व से कार्यरत / चयनित अंशकालीन व्याख्याता जो अगले शैक्षणिक वर्ष में भी कार्य करने के लिए इच्छुक है उन्हें भी इस प्रकाशित सूचना के अनुरूप पुनः आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा करना होगा।
- यह कार्यादेश केवल एक शैक्षणिक सत्र (2020-21) के लिए मान्य होगा।
- साक्षात्कार (मेधा आधारित) एवं इससे संबंधित सूचना बाद में दी जाएगी।
- फोटोयुक्त आवेदन पत्र (Biodata) के साथ अनुभव प्रमाण पत्र आदि संबंधित स्वअभिप्रमाणित Scan Copy संलग्न करना अनिवार्य है।
- यह कार्यादेश (आवश्यकता आधारित) पूर्णतः अंशकालीन एवं अस्थायी है, तथा किसी रिक्त पद के विरुद्ध नहीं किया जा रहा है। अतः चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का न्यायालय / नोटरी पब्लिक से शपथ पत्र देना होगा कि वे नियमित नियुक्ति के लिए भविष्य में दावा नहीं करेंगे।
- कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र न्यायालय / नोटरी पब्लिक से देना होगा कि उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत किसी भी अन्य राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक / अभियंत्रण महाविद्यालय अन्तर्गत कॉलेज / संस्थानों में वर्ग कार्य नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते हुए पाये जायेंगे तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे।
- ऐसे अभ्यर्थी जो अंशकालीन व्याख्याता के रूप में चयनित हुए हैं, एवं अन्यत्र सरकारी सेवा में हैं, को संबंधित संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- सामयिक / सांख्यिक / प्रायोगिक / प्रश्न पत्र चयन तथा आंतरिक मूल्यांकन इत्यादि के लिए अलग से कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
- विभाग द्वारा नियमित नियुक्ति होने या संविदा पर नियुक्ति होने के उपरान्त स्वतः उनका कार्यानुमति रद्द समझा जायगा।
- अभियंत्रण, गैर अभियंत्रण की डिग्री AICTE / UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से होना चाहिए।
- साक्षात्कार की सूचना रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ह०/-

प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय महिला पोलिटेकनिक,
जमशेदपुर।

PR 232336 Higher Education, Technical Education
and Skill Development Department(20-21)D

